झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

संचिका सं0-04/कृ0के0यो0(PMKSY)-01/2022......57....... /कृ0, रांची, दिनांक 19/12/2022

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
झारखण्ड, राँची।

विषयः- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र प्रायोजित RKVY-RAFTAAR योजना अन्तर्गत Per Drop More Crop उपयोजना के अधीन सूक्ष्म सिंचाई कार्य हेतु केन्द्रांश रू. 1250.00 लाख, अनिवार्य एवं अतिरिक्त राज्यांश रू. 2209.19 लाख इस प्रकार कुल रू. 3459.19 लाख (चौंतीस करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार रूपये) मात्र आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंगः- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-49 दिनांक-08.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र प्रायोजित RKVY-RAFTAAR योजना अन्तर्गत Per Drop More Crop उपयोजना के अधीन सूक्ष्म सिंचाई कार्य हेतु उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत केन्द्रांश रू. 1250.00 लाख, अनिवार्य एवं अतिरिक्त राज्यांश रू. 2209.19 लाख इस प्रकार कुल रू. 3459.19 लाख (चौंतीस करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार रूपये) मात्र आवंटित की जाती है।

यह आवंटन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-18-27/2020-RFS-III दिनांक-03.10.2022 के द्वारा प्रथम किस्त स्वरूप विमुक्त केन्द्रांश कुल रू. 1250.00 लाख के आलोक में प्रदान किया जा रहा है।

2. आवंटित राशि निम्न तालिका के स्तम्भ-4 के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में संगत बजटशीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत विकलनीय होगी :-

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना उपशीर्ष-AG-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उपयोजना शीर्ष-01-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100796AG010652 52-सबसिडी 01S240100796AG010652	3000.00 5302.04	750.00 1325.51
2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उपशीर्ष-AG-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उपयोजना शीर्ष-01-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100109AG010652 52-सबसिडी 01S240100109AG010652	1500.00 2651.02	375.00 662.76
3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष-AG-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उपयोजना शीर्ष-01-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100789AG010652 52-सबसिडी 01S240100789AG010652	500.00 883.67	125.00 220.92
	कुल राशि	13836.73	3459.19

(चौंतीस करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार रूपये) मात्र।

3. राशि की निकासी हेतु कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 से भारत सरकार के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति एवं अनुश्रवण हेतु Public Financial Management System (PFMS) की नयी प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। प्रासंगिक योजना के तहत PFMS की नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0(2) दि0-17.04.1998 एवं पत्रांक-1800 दिनांक-15.07.2003 एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप सभी संबंधित वित्तीय नियमावली/कोषागार संहिता में वर्णित अनुदेशों तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अक्षरशः पालन करते हुए की जाएगी।

6. राशि की अनियमित निकासी/व्यय एवं विचलन तथा योजना का दोहरीकरण होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. आवंटित राशि का व्यय भारत सरकार के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की मार्गदर्शिका तथा इस संबंध में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव/कार्य योजना के अनुरूप किया जायेगा। साथ ही सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

8. परियोजना के कार्यान्वयन में राशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा, जो स्वीकृत राशि के अंतर्गत होगा। राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रत्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को निश्चित रूप से समर्पित करना होगा। व्यय से संबंधित संपूर्ण लेखा का संधारण कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची द्वारा किया जायेगा तथा अंकेक्षण दल से तत्संबंधी अंकेक्षण कराते समय उसे अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. आवंटित राशि के व्यय के पश्चात विस्तृत व्यय विवरणी एवं योजना कार्यान्वयन प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड एवं कृषि निदेशक, झारखण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश सं0-49 दिनांक-08.12.2022 में सन्निहित समस्त शर्तों एवं निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का होगा।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0के0यो0(PMKSY)-01/2022...57... /कृ0, रांची, दिनांक 19/12/2022

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0के0यो0(PMKSY)-01/2022...57... /कृ0, रांची, दिनांक 19/12/2022

प्रतिलिपिः कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा आवंटनादेश की प्रति उनके ई-मेल आई0डी0-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0कें0यो0(PMKSY)-01/2022...57........ /कृ0, रांची, दिनांक...19/12/2022

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-4)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, झारखण्ड/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/योजना शाखा-4, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Di

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 04/KKY-01/2022/57 दिनांक - 03-Jan-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 01 240100109AG010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 01-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Centeral Scheme State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Centeral Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	70899	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE 52 - सबसिडी	37,500,000.00 रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख
2	S 01 240100109AG010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 01-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Centeral Scheme (State Share) State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Centeral Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	72064	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE 52 - सबसिडी	66,276,000.00 रुपये छः करोड़ बासठ लाख छहत्तर हजार
3	C 01 240100789AG010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 01-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Centeral Scheme State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Centeral Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	70900	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE 52 - सबसिडी	12,500,000.00 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख

योग: 116,276,000.00

रुपये ग्यारह करोड़ बासठ लाख छहत्तर हजार

क्रमिक योग:

(NISHA ORAON SINGHMAR)

DIRECTOR OF AGRICULTURE

पत्र संख्या - 04/KKY-01/2022/57 दिनांक - 03-Jan-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 01 240100789AG010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 01-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Centeral Scheme (State Share) State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Centeral Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	72065	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE 52 - सबसिडी	22,092,000.00 रुपये दो करोड बीस लाख बयानवे हजार
5	C 01 240100796AG010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 01-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Centeral Scheme State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Centeral Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	70897	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE 52 - सबसिडी	75,000,000.00 रुपये सात करोड पचास लाख
6	S 01 240100796AG010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 01-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Centeral Scheme (State Share) State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Centeral Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	72063	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE 52 - सबसिडी	132,551,000.00 रुपये तेरह करोड पच्चीस लाख इकावन हजार

योग: रुपये चौतीस करोड उनसठ लाख उन्नीस हजार 229,643,000.00

क्रमिक योग: 345,919,000.00

(NISHA ORAON SINGHMAR)
DIRECTOR OF AGRICULTURE